विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0024612

मेसर्स परसरामपुरिया इण्टरनेशनल, — आवेदक
प्लॉट नं. 423–432 इण्डस्ट्रियल एरिया,
सेक्टर – III, पीथमपुर,
जिला – धार (म.प्र.)

विरूद्ध

मुख्य इंजीनियर (IR),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
पोलोग्राउण्ड, इन्दौर (म.प्र.)

— अनावेदक

अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक (wz),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
पोलोग्राउण्ड, इन्दौर (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 24.06.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0225612 मेसर्स परसरामपुरिया इण्टरनेशनल विरूद्ध मुख्य अभियंता (IR) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2012 से असंतुष्ठ होकर यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. इस मामले में इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी अर्थात् अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत उपभोक्ता है तथा उसके परिसर में विद्युत आपूर्ति किए जाने का अनुबंध दोनों के मध्य निष्पादित किया गया था । विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता ने अपने परिसर में ट्रांसफार्मर लगाया था । यह ट्रांसफार्मर दिनांक 28.11.11 को फेल हो गया था अर्थात् ट्रांसफार्मर ने विद्युत आपूर्ति करना बन्द कर दिया था । दिनांक 28.11.11 को ही उपभोक्ता ने अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक को इस तथ्य से अवगत करा दिया था कि ट्रांसफार्मर के क्रियांशील न होने के

कारण उसके परिसर में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है । दिनांक 08.01.12 को नया ट्रांसफार्मर लगाया गया था और इसी दिन से पुनः विद्युत आपूर्ति आरम्भ हुई थी ।

3. आवेदक उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष यह शिकायत की थी कि दिनांक 28.11.11 से 08.01.12 तक ट्रांसफार्मर फेल होने के कारण उसके परिसर में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही थी, अतः उभयपक्ष के निष्पादित संविदा के अनुसार उक्त अवधि में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता से विद्युत का न्यूनतम चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए, जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त अवधि का न्यूनतम चार्ज लिया जा रहा है, अतः उक्त चार्ज को निरस्त किया जाए ।

4. अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का विरोध इस आधार पर किया गया है कि प्रश्नगत ट्रांसफार्मर उपभोक्ता की गलती के कारण जला था तथा इस अवधि में उपभोक्ता को जो विद्युत आपूर्ति की गई थी वह न्यूनतम मांग के अनुसार थी, अतः संविदा के अनुसार उससे जो न्यूनतम चार्ज लिया जा रहा है उसे माफ नहीं किया जा सकता है ।

5. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने यह निर्णय दिया है कि पक्षकारों के मध्य जो संविदा हुई थी उस संविदा के अनुसार उपकरणों की देखभाल करने का दायित्व उपभोक्ता पर था तथा इस मामले में ट्रांसफार्मर की देखभाल सही ढंग से न करने के कारण वह जला था । ट्रांसफार्मर का जलना दैवीय आपदा की परिधि में नहीं आता, अतः उपभोक्ता को विद्युत के न्यूनतम चार्जेज से छूट प्रदान नहीं की जा सकती है । फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें यह आधार लिया गया है कि ट्रांसफार्मर का जलना दैवीय आपदा की परिधि में आता है, अतः फोरम ने जो निष्कर्ष दिया है वह उचित तथा तर्कसंगत नहीं है । इसके अतिरिक्त विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अभ्यावेदन में यह आधार भी लिया गया है कि जिस अवधि में ट्रांसफार्मर कार्य नहीं कर रहा था उस अवधि में उपभोक्ता से न्यूनतम चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए ।

6. अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी की ओर से यह आपत्ति की गई है कि फोरम का आदेश विधिसंगत है, इसके अतिरिक्त ट्रांसफार्मर फेल हो जाने के कारण उपभोक्ता ने जो ट्रांसफार्मर लगाया था वह कम भार का था, इस कारण से उसकी विद्युत आपूर्ति में कमी आई थी । विवादित अवधि में उपभोक्ता द्वारा विद्युत की न्यूनतम मांग का उपभोग किया गया था, अतः वह न्यूनतम छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

7. उपभोक्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने विवाद के संबंध में मौखिक तर्क प्रस्तुत किया है तथा लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया है । अपने समर्थन में उन्होंने न्याय दृष्टांत :

1) 2013 (1) M.P.L.J., Pan Steel Pvt. Ltd. vs M.P.S.E.B.
2) (2001) 1 SCC, Raymond Ltd. and Anr. vs M.P. Electricity Board and Ors.

3) (1976) 2 SCC., M/s Eastern Electronics (Delhi) Ltd. vs State of Haryana & Another

4) 1999 (1) M.P.L.J. Raymond Ltd. and Another vs State of M.P. and ors.

8. अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि उपभोक्ता ने विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 11.2 के अनुसार विद्युत प्रदाय में कमी किए जाने की सूचना नहीं दी थी, अतः उसे न्यूनतम चार्जेज में कमी की छूट प्रदान नहीं की जा सकती है । फोरम का आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है । जो न्याय दृष्टांत उद्धरित किये गये हैं वह प्रकरण की परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं ।

9. **विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या** – दिनांक 28.11.11 से 08 जनवरी 2012 तक उपभोक्ता का ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से विद्युत का न्यूनतम चार्ज वसूल पाने का अधिकारी नहीं है ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

10. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के अध्याय 11 में आकस्मिक तथा विशेष परिस्थितियों के लिए विद्युत आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान किया गया है । धारा 11.2 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि यदि विद्युत प्रदाय की मात्रा न्यूनतम 30 दिवस तथा अधिकतम 6 माह के लिए हो तब अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध के चालू रहने के दौरान आकस्मिक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी से 7 दिवस की लिखित सूचना देकर संबंधित वोल्टेज स्तर पर संविदा मांग की आवश्यक एवं शाक्य अनुमानित सीमा में घटाई गई मात्रा में विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर सकेगा तथा उक्त घटी हुई विद्युत आपूर्ति को उपभोक्ता के प्रारम्भिक अनुज्ञप्ति काल में नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि उक्त अनुबंध अवधि को आगे बढ़ा दिया जावेगा

11. इस मामले में आवेदक/उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य विद्युत आपूर्ति किए जाने का अनुबंध हुआ था । ऐसे अनुबंध के चालू रहने के दौरान दिनांक 28.11.11 से 08.01.12 की अवधि में ट्रांसफार्मर फेल होने के कारण उपभोक्ता ने विद्युत आपूर्ति प्राप्त नहीं की थी, ऐसी स्थिति में अनुबंध की शर्तों के अनुसार उक्त अवधि में न्यूनतम विद्युत चार्जेज से उपभोक्ता ने छूट प्राप्त करने का यह आधार लिया है । प्रश्नगत ट्रांसफार्मर दैवीय आपदा के कारण फेल हुआ था, अतः उक्त अवधि को अनुबंध में नहीं जोड़ा जाए अर्थात् उससे उक्त अवधि का न्यूनतम चार्ज न लिया जाए ।

12. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि फोरम ने यह माना है कि उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य जो संविदा हुई थी उसमें उपकरण अर्थात् ट्रांसफार्मर की देख–रेख करने का

दायित्व उपभोक्ता पर था तथा उपभोक्ता द्वारा उक्त दायित्व का निर्वहन न करने के कारण ट्रांसफार्मर फेल हुआ था ।

13. आवेदक उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत 2013 (1) M.P.L.J., Pan Steels Pvt. Ltd. vs M.P. S.E.B. and ors. में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे दैवीय कृत्य जिसे विवेक, परिश्रम और मनुष्य प्राणी की सतर्कता से रोका नहीं जा सकता है उसे दैवीय घटना कहा जावेगा । इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने कण्डिका 13 से 18 तक जो विवेचन किया है उसका अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि प्रश्नगत् मामले में ट्रांसफार्मर के जलने की जो घटना हुई थी उसके लिए उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं थे, इसके कारण ट्रांसफार्मर के जलने की घटना को दैवीय आपदा माना गया था । देखना यह है कि क्या आवेदक/उपभोक्ता के शिकायत संबंधी मामले में भी ऐसी परिस्थितियां हैं ।

14. इस मामले में फोरम ने यह पाया है कि ट्रांसफार्मर उपभोक्ता की गलती के कारण जला था, क्योंकि संविदा की शर्तों के अनुसार ऐसे ट्रांसफार्मर की देख–रेख करने का दायित्व उपभोक्ता पर था । उपभोक्ता ने दिनांक 28.11.11 को अनुज्ञप्तिधारी को ट्रांसफार्मर फेल होने की जो सूचना दी थी उस सूचना में उसने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया था कि दैवीय कारण से ट्रांसफार्मर जला है । इसके पश्चात् उसने दिनांक 28.11.11 को अनुज्ञप्तिधारी को पुनः पत्र लेख किया था तथा दिनांक 07.07.12 को भी पत्र लेख किया था, लेकिन इन पत्रों का अवलोकन करने से यह नहीं पाया जाता कि प्रश्नगत् ट्रांसफार्मर किसी दैवीय आपदा के कारण जला था ।

15. उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य जो संविदा हुई थी उस संविदा के अनुसार प्रश्नगत ट्रांसफार्मर उपभोक्ता द्वारा स्थापित किया गया था तथा इस ट्रांसफार्मर की देखरेख का दायित्व उपभोक्ता का था । ट्रांसफार्मर ऐसी घटना के कारण नहीं जला था जिस घटना को उपभोक्ता द्वारा नहीं रोका जा सकता था । प्रश्नगत ट्रांसफार्मर बिजली गिरने, भूकंप आने, तूफान आदि के कारण नहीं जला था अपितु ट्रांसफार्मर में तकनीकी त्रुटियां पाई जाने के कारण वह जला था । इस कारण से ट्रांसफार्मर के जलने की घटना को दैवीय घटना होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तकनीकी त्रुटि को सतर्कता से रोका जा सकता था ।

16. इस मामले में आवेदक/उपभोक्ता की ओर से इस तथ्य के संबंध में कोई दस्तावेज या ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जा सके कि प्रश्नगत ट्रांसफार्मर की देखरेख में उसकी ओर से पूरी सतर्कता बरती गई थी और ट्रांसफार्मर के जलने की घटना को वह अपने विवेक, परिश्रम तथा

सतर्कता से नहीं रोक सकता था, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत् ट्रांसफार्मर के जलने की घटना को दैवीय घटना नहीं माना जा सकता है ।

17. आवेदक/उपभोक्ता की ओर से अपने समर्थन में जो लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है तथा जो तर्क प्रस्तुत किया गया है वह सब इसी बिन्दु पर आधारित है कि ट्रांसफार्मर के जलने की घटना दैवीय आपदा की परिधि में आती है, अतः उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 12.2 के प्रावधानों का लाभ मिलना चाहिए । इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि यदि दैवीय आपदा के कारण ट्रांसफार्मर जलता है वहां उपभोक्ता धारा 11.2 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु इस मामले में उपभोक्ता का ट्रांसफार्मर दैवीय आपदा के कारण जलना साबित नहीं होता है, अतः उपभोक्ता मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 11.2 के उपबंधों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है ।

18. उपभोक्ता के द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार जो ट्रांसफार्मर अपने परिसर में स्थापित किया गया था वह दैवीय घटना के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था । ट्रांसफार्मर उपभोक्ता द्वारा स्थापित किया गया था, अतः संविदा की शर्तों के अनुसार वह दिनांक 28.11.11 को अथवा उसके शीघ्र बाद नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था । उपभोक्ता द्वारा सतर्कता न बरतने के कारण नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने में देरी हुई थी, ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर स्थापित करने में देरी के कारण यदि उसकी विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई थी तो इसके कारण वह संविदा की शर्तों के अनुसार न्यूनतम चार्ज से छूट पाने का अधिकारी होना नहीं पाया जाता है ।

19. उपभोक्ता ने विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 11.2 के अनुसार विद्युत प्रदाय में कमी किए जाने की सूचना नहीं दी थी, इस आपित्त का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना उपभोक्ता द्वारा दिए जाने का आधार यही था कि ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण वह अपने परिसर में स्थापित विद्युत ऊर्जा द्वारा संचालित उपकरणों में विद्युत प्राप्त नहीं कर रहा है अर्थात् वह विद्युत ऊर्जा का उपभोग करने से वंचित है । उपभोक्ता द्वारा ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना दिए जाने का आशय यही था कि ऐसे ट्रांसफार्मर तक विद्युत की आपूर्ति न की जाए । अतः उसने विद्युत प्रदाय में कमी की जाने की सूचना नहीं दी थी, इसलिए वह न्यूनतम चार्जेज में कमी की छूट प्राप्त नहीं कर सकता है, को मान्य नहीं किया जा सकता है ।

20. उपभोक्ता का ट्रांसफार्मर दैवीय आपदा के कारण जला था इस कारण वह संविदा की शर्तों के अनुसार न्यूनतम चार्जेज से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है यही आधार उपभोक्ता द्वारा फोरम के समक्ष

प्रस्तुत शिकायत में लिया गया था । फोरम ने ट्रांसफार्मर के जलने की घटना को दैवीय घटना होना नहीं पाया था । फोरम के आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता ने जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है उसमें भी ट्रांसफार्मर के जलने की घटना को दैवीय घटना होना साबित नहीं होता है । अतः फोरम के आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है उसके आधार पर फोरम के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

21. आवेदक उपभोक्ता की ओर से अपने समर्थन में जो अन्य न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं वह मामले के तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार सुसंगत नहीं है, अतः उनका विवेचन नहीं किया जाता है ।

22. अतः उपभोक्ता की ओर से फोरम के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है तथा फोरम के प्रश्नगत आदेश की पुष्टि की जाती है ।

23. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल